FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0006 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 11/01/2025 15:34 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 07/01/2025 Date To (दिनांक तक): 09/01/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 15:25 बजे Time To (समय तक): 20:14 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 11/01/2025 Time (समय): 14:15 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय) 11/01/2025 15:34:47 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH-EAST, 85 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABL

(b)Address(पता): bijli karyalya ke samne, wahar colony siswali road, mangrol baran

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Shiv prakash suman

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** ashok kumar suman

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2002 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	sorti bawri, mangrol, BARAN, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	sorti bawri, mangrol, BARAN, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Dhanprakash galav		पिता:Purushottamswroop	1. bijli office ke samne,jwahar colony,mangrol,BARAN,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदयहालात इस प्रकार है दिनांक 07.01.2025 समय 03.25 पी.एम पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी कोटा के मोबाईल फोन पर कॉल आया और बताया कि मै शिव प्रकाश सुमन मांगरोल जिला बारां का रहने वाला हूं। मैने जरिये टेण्डर नगर पालिका मांगरोल के आदेश सें डोल मेला मांगरोल में साउण्ड सिस्टम लगाया था, जिसके बिलो को पास करवाने की एवज में नगरपालिका का वरिष्ठ सहायक धनप्रकाश गालव मुझसे 50000 रूपये की रिश्वत की मांग कर रहा है। मैं उसके खिलाफ कार्यवाही करवाना चाहता हूं। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी कोटा ने परिवादी श्री शिव प्रकाश सुमन को एसीबी कोटा के कार्यालिय में आने की कहा तो परिवादी ने बताया कि मैं कोटा नही आ सकता और आज ही मेरी आरोपी वरिष्ठ सहायक से रिश्वत मांगने के सम्बन्ध में वार्ता हो सकती है। वार्ता से मामला रिश्वत मांग का व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधी में आना पाए जाने से सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब ने मन अनीष अहमद उप अधीक्षक पुलिस को अपने चैम्बर में बुलाकर परिवादी श्री शिवप्रकाश सुमन के मोबाईल नम्बर नोट करवाये और परिवादी से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर मन उप अधीक्षक पुलिस ने श्री बबलेश कानि0 216 व श्री अभिषेक कानि0 197 को परिवादी के मोबाईल नम्बर उपलब्ध करवाये तथा उससे संपर्क कर शिकायत के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त करने व रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाकर अवगत कराने के दिशानिर्देश दिये तथा मालखाने से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के निकलवाया जाकर श्री बबलेश कानि0 216 को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के सुपुर्द कर आरोपी से होने वाली रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करवाने हेतु रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमौरी कार्ड पृथक सें मूर्तिब की गई।रात्री को समय 08.36 पी.एम. पर श्री अभिषेक कानि0 ने मन उप अधीक्षक को जरिये वॉटस एप कॉल कर बताया मैं कोटा से रवाना होकर श्री बबलेश कानि0 216 के साथ करीबन रात्रि 8 पीएम पर मांगरोल पहुंचा था, जंहा पर सम्पर्क करने पर परिवादी श्री शिव प्रकाश सुमन उपस्थित मिला, जिससे हस्तलिखित प्रार्थना पत्र प्राप्त किया। परिवादी से आरोपी की मांग सत्यापन वार्ता करवाने हेतु आरोपी धनप्रकाश गालव, वरिष्ठ सहायक को परिवादी के मोबाईल से कॉल करवाया तो आरोपी ने बताया कि मैं अभी बाहर हु सुबह बात करेंगें।ऐसी स्थिति मे आज सत्यापन की कार्यवाही संभव नही होने से मन् उप अधीक्षक पुलिस ने दोनो कानिगण को आसपास ही गोपनीय स्थान पर रात्रि मुकिम रहने व दिनांक 08.01.2025 को परिवादी से मिलकर पुनः सत्यापन की कार्यवाही करने के निर्देश दिये।दिनांक 08.01.2025 समय 12.36 पी.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने श्री अभिषेक कानि0 को जरिये वॉटस एप कॉल किया तो कानि0 ने बताया कि हमने सुबह करिबन 10.15 एएम पर परिवादी श्री शिव प्रकाश को डिजिटल वॉयस रिकोर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर आरोपी से मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु रवाना किया था, जो लगभग आधे घण्टे बाद वापस हमारे पास आया और डिजिटल वॉयस रिकोर्डर पेश कर बताया कि मै रवाना होकर आरोपी के निवास पर पहुचा, जंहा आरोपी से मैने मेरे डोल मेले के टेण्डर के अनुसार किये हुए काम के पेण्डिग बिलो को पास करवाने के संबंध में बात की, धनप्रकास गालव ने मेरे बिल पास करने के लिए 35000 (पैंतीस हजार) रूपये की रिश्वत देने के लिए कहा है। हम दोनो कानिगणो ने रिकोर्डेड वार्ता को सुना तो परिवादी के कथनो की पुष्टी हुई। वाईस रिकार्डर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा है। परिवादी ने बताया है कि अभी मेरे पास रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था नही है अतः मैं व्यवस्था होने पर आपको सूचना कर दुंगा। उक्त कार्यवाही हालात से श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को हमने अवगत करवा दिया था तो उन्होने हमे मय वॉयस रिकोर्डर मय प्रार्थना पत्र कार्यालय पर आने के निर्देश दिये। इस पर परिवादी को मुनासिब हिदायत कर सकुशल कस्बा मांगरोल मे ही रूखसत कर चौकी हाजा के लिए रवाना हुए। समय 03.30 पी.एम. पर श्री बबलेश कानि0 216 व श्री अभिषेक कानि 197 बाद सत्यापन कार्यवाही वापस मय परिवादी श्री शिव प्रकाश सुमन से प्राप्त हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मय वॉयस रिकॉर्डर मय मैमेारी कार्ड के आये है, जिन्होंने सरकारी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमौरी कार्ड तथा परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया तथा बताया कि चौकी से रवाना होकर कस्बा मांगरोल जिला बारां पहुंचे जहां पर परिवादी श्री शिव प्रकाश सुमन मिला जिसने एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि " मै शिव प्रकाश सुमन पुत्र श्री अशोक कुमार उम्र 23 साल जाति माली निवासी मांगरोल जिला बारां का रहने वाला हुं। मै डी0जे0 एवेन्ट का

काम करता हूँ। मेरी फर्म शिव डीजे इवेन्ट के नाम से नगर पालिका मांगरोल मे टेण्डर लेता हुं। मेरे द्वारा डोल मेला मांगरोल में नवम्बर 2024 में साउण्ड सिस्टम लगाया था जो 6 दिन चला जिसका करीबन 1 लाख रूपये का पेमेन्ट बना जिसका बिल बना कर मांगरोल नगर पालिका में दिया था । उक्त बिलों को पास करवाने के लिए श्री धनप्रकाश गालव, वरिष्ठ सहायक नगर पालिका मांगरोल जिसके पास लेखाकार का चार्ज भी है। 50000 रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है। मै अपने वैद्य काम के लिए रिश्वत नही देना चाहता हुं। बल्की रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हुं। धनप्रकाश गालव से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। ना ही मेरा कोई लेनदेन बकाया है। उचित कार्यवाही करावें। "। डिजिटल वाईस रिकोर्डर में रिकोर्डेड वार्ता को सुनने व प्रार्थना पत्र में अंकित हालात से दोनो कानि0गण द्वारा मोबाईल वार्ता में बताई गई सत्यापन कार्यवाही की पुष्टी होती है। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में आरोपी धनप्रकाश गालव, वरिष्ठ सहायक जिसके पास नगर पालिका मांगरोल के लेखाकार का भी चार्ज है, के द्वारा परिवादी शिव प्रकाश से 35000 रूपये रिश्वत मांग करना सामने आया। सम्पूर्ण हालात से श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय स्वर्णकार को अवगत कराया गया व परिवादी द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र को पेश किया गया। जिस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने रिश्वत मांग सत्यापन के संबंध में आरोपी के विरूद्ध विधि सम्मत कार्यवाही करने के निर्देश दिये व प्रार्थना पत्र पर आवश्यक कार्यवाही करने का अंकन किया। मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के मेमौरी कार्ड को सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। फर्द प्राप्ति डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमौरी कार्ड मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। परिवादी द्वारा बताये गये हालात अनुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के आयोजन हेतु दो स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से कार्यालय के पत्रांक 33 दिनांक 8.01.2025 सयुक्त निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग कोटा के नाम जारी कर श्री अब्दुल सत्तार कानि0 158 को स्वतंत्र गवाह लाने हेतु रवाना किया गया। समय 06.00 पी.एम. पर श्री अब्दुल सत्तार कानि0 158 मय स्वतंत्र गवाहन श्री अभिषेक जैन पुत्र ललीत जैन उम्र 38 जाति महाजन निवासी 14/141 छोटी समाद की गली रामपुरा कोटा हाल सहायक साख्यिकी अधिकारी, कार्यालय सयुक्त निदेशक आर्थिक एवं साख्यिकी विभाग कोटा माबाईल नम्बर[redacted]व श्री विक्रम पोसवाल पुत्र बृजमोहन उम्र 40 साल जाति गुर्जर निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा ग्राम पंचायत गैरागड तहसील अकलेरा जिला झालावाड हाल सहायक निदेशक कार्यालय सयुक्त निदेशक आर्थिक एवं साख्यिकी विभाग कोटा मोबाईल नम्बर [redacted]के कार्यालय हाजा वापस आया। दोनो स्वतंत्र गवाहान से परिचय प्राप्त कर मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय दिया तथा कार्यालय में तसल्लीपूर्वक बिठाया एवं परिवादी द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र को पढकर सुनाया तथा आरोपी धनप्रकाश गालव द्वारा की गई रिश्वत मांग के सत्यापन की कार्यवाही की जानकारी दी तथा ट्रेप कार्यवाही में गवाह बनने की सहमती चाही तो दोनों गवाहान ने परिवादी के प्रार्थना पत्र को पढकर स्वेच्छा से ट्रेप कार्यवाही में गवाह बनने की सहमती दी तथा परिवादी के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किये। उपरोक्त मामले में ट्रेप की कार्यवाही दिनांक 09.01.2025 को की जानी सम्भावित होने से उपस्थित दोनो स्वतंत्र गवाहान को सूचित करने पर ट्रेप कार्यवाही में उपस्थित होने हेतु मुनासीब हिदायत कर रवाना किया गया।दिनांक 09.01.2025 समय 04.26 पी.एम पर परिवादी श्री शिव प्रकाश सुमन ने जर्ये फोन अवगत कराया कि मैने धनप्रकाश गालव, वरिष्ठ सहायक को रिश्वत में देने के लिए 10,000 रूपये की व्यवस्था कर ली है। मैं उसे शेष रिश्वत की रकम बाद में देने के लिए राजी कर लूंगा, आप लोग कार्यवाही करने के लिए मांगरोल आ जावो, मेरे पास वाहन की समस्या है। मै आपको मांगरोल कस्बे के बाहर सीसवाली रोड पर नहर के पास मिल जाऊंगा, इस पर पूर्व से पाबन्दशुदा गवाहान को कार्यवाही के लिए कार्यालय हाजा में शीघ्र उपस्थित होने हेतु जर्ये मोबाईल फोन सूचित किया गया, जो उपस्थित कार्यालय आये। ट्रेप कार्यवाही आरोपी के आवास पर होना सम्भावित होने तथा महिला का ट्रेप टीम में रहना आवश्यक होने सें श्रीमति सुमन म0कानि0 275 को स्पेशल यूनिट भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा से तलब किया गया, तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री मनोज कुमार शर्मा कानि0 211 से मालखाने से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर प्राईवेट वाहन के डेश बोर्ड मे रखवाई गई। इसके बाद श्री देशराज पुलिस निरीक्षक को मय स्वतंत्र गवाह श्री अभिषेक जैन व श्री विक्रम पोसवाल एवं श्री योगेश गोचर कानि0 291, तथा श्री मनोज कुमार शर्मा कानि0 211, के साथ प्राईवेट वाहन में बैठा कर रवाना किया तथा मन पुलिस उप अधीक्षक मय जाप्ता श्री अभिषेक चौधरी कानि0 197, श्री बबलेश कानि0 261, श्री रवि यादव कानि0 285 योगेन्द्र कानि0 282, श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि0 140, श्रीमति सुमन महिला कानि0 275 व श्री तंवर सिंह कानि. चालक 506 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर एवं अन्य ट्रेप सामग्री मय डिजिटल वाईस रिकार्डर मय रिश्वत मांग सत्यापन के मैमोरी कार्ड एवं नये खाली मैमोरी कार्डो के एक सरकारी बोलेरो वाहन से मांगरोल जिला बांरा के लिए समय 5.30 पी.एम. पर रवाना होकर परिवादी के बताये अनुसार मांगरोल कस्बे से बाहर सीसवाली रोड पर नहर के पास पहुंचे जहां पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी श्री शिवप्रकाश सुमन मय मोटर साईकिल के उपस्थित मिला ।समय 07.35 पी.एम. पर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री शिवप्रकाश सुमन पुत्र श्री अशोक कुमार सुमन जाति माली निवासी मांगरोल जिला बांरा ने आरोपी श्री धनप्रकाश वरिष्ठ सहायक को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10,000/- रूपये अपने पास से निकालकर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये, जिनके नम्बर इस प्रकार हैं-क्र. सं. नोटों का

विंवरण,नोटों के नम्बर1. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0 HU 4543562. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 DS 9000793. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6 FL 0031694. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9 VQ 8286845. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6 GL 0390506. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 MG 8950597. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 FN 9606428. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6 MF 8105549. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5 VS 30362410. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1 NA 52311211. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6 LW 68262812. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7 BF 67521113. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 FG 72888914. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7 NL 29493615. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5 MW 89359216. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7 ET 53874917. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 CU 56913718. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3 BW 87021419. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4 MC 06407420. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1UU 197835श्री मनोज कुमार शर्मा कानि. नं. 211 से प्राईवेट वाहन के डेसबोर्ड से फिनोंफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के ऊपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया। परिवादी श्री शिवप्रकाश सुमन की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री अभिषेक जैन सहायक साख्यिकी अधिकारी से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके पहने हुए वस्त्रों एवं मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। आरोपी को रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये उक्त भारतीय मुद्रा के पांच- पांच सौ रूपये के बीस नोट कुल 10000 रूपये को परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब मे श्री मनोज कुमार शर्मा कानि. नं. 211 से सीधे ही रखवाये गये।इसके बाद एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में गाडी में रखी पीने के पानी की बोटल से साफ पानी लिया जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसे गवाहान् एवं परिवादी को दिखाया गया तो सभी ने घोल का रंग रंगहीन होना बताया। उक्त रंगहीन घोल में श्री मनोज कुमार शर्मा कानि. नं. 211 के हाथ की अंगुलियों को डालकर धुलवाया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया को गवाहान् एवं परिवादी को दृष्टांत देकर समझाया गया कि रिश्वत लेने वाला व्यक्ति इन नोंटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथो पर फिनोफथलीन पाउडर लग जायेगा। फिनाफथलीन पाउडर लगे हुए हाथो को सोडियम कार्बोनेंट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। इसके बाद डिस्पोजल गिलास के घोल को बाहर फिंकवाया गया। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जानेवाली राशि/नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था एवं दृष्टांत में काम मे लिये गये डिस्पोजल गिलास को मनोज कुमार शर्मा कानि. नं. 211 से जलवाया जाकर नष्ट करवाया गया। मनोज कुमार शर्मा कानि. नं. 211 के हाथांे एवं ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाली शीशियों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाया गया। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटो को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुयें एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि निकालकर देवें। आरोपी से रिश्वत राशि व स्वयं के कार्य के संबंध मे स्पष्ट वार्ता करे तथा रिश्वत देने के बाद मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन पर मिस कॉल करे। दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी समझाया की रिश्वत के लेनदेन को यथासंभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। परिवादी श्री शिवप्रकाश सुमन को डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका पुनः समझाया जाकर हिदायत दी कि वक्त रिश्वत लेनदेन उसके एवं आरोपी के मध्य होने वाली वार्ता को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करे। मनोज कुमार शर्मा कानि. नं. 211 को नहर के पास सीसवाली रोड पर ही रहने की हिदायत दी गई। फर्द पेशकशी नियमानुसार मुर्तिब की जाकर गवाहान् व परिवादी को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मान सम्बन्धितों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये । फर्द को शामिल पत्रावली किया गया। समय 08.06 पी.एम. पर परिवादी श्री शिवप्रकाश सुमन को मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय नये मेमौरी कार्ड के रिकार्डर को चालु करवाकर उसकी मोटर साईकिल से श्री बबलेश कानि0 261 व रवि यादव कानि0 285 के साथ हिदायत कर आरोपी के जवाहर कॉलोनी मांगरोल स्थित आवास के लिए रवाना किया गया। मन पुलिस उप अधीक्षक मय हमराहियान के अपने अपने वाहनों की उपस्थिती छुपाते हुए पीछे-पीछे रवाना होकर जवाहर कॉलोनी मांगरोल में आरोपी के मकान से थोडा दूर वाहनो को खडा कर आरोपी के आवास के आसपास परिवादी के इशारे के इन्तजार में मुकिम हुये। समय 08.14 पी.एम. पर परिवादी श्री शिवप्रकाश सुमन पुत्र श्री अशोक कुमार सुमन जाति माली उम्र 23 साल निवासी- शोरती बावडी, मांगरोल जिला बारां ने आरोपी द्वारा रिश्वत ग्रहण करने का इशारा मन उप अधीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल मिसकॉल करके किया तथा मिसकॉल करने के बाद परिवादी, आरोपी के निवास स्थान के सामने से स्वंय की मोटरसाईकल स्टार्ट करके मेन रोड की तरफ चला गया, जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहन अभिषेक जैन, विक्रम पोसवाल मय हमराही जाब्ता श्री देशराज पु0नि0, श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140 श्री बबलेश कानि. 261 श्री अभिषेक कानि.197, श्री रवि कुमार कानि. 285, श्री योगेश कानि.291, श्री योगेन्द्र कानि. 282 महिला कानि. 275 श्रीमती सुमन के परिवादी के पास पहुंचे तथा श्री योगेन्द्र सिंह कानि. को परिवादी की मोटर साईकिल पर बैठाया तथा परिवादी को वापस आरोपी के निवास पर चलने के लिए कहा तथा मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के परिवादी के पीछे-पीछे आरोपी के आवास के बाहर पहुंचे तथा परिवादी को आरोपी के आवास के पोर्च में खडाकर दरवाजा खुलवाया तो

सामने एक व्यक्ति जिसने नीले रंग की जिन्स पेंट पहनी हुई थी खडा हुआ मिला, जिसको मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना व हमराहियान का परिचय देकर उक्त व्यक्ति सें उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम धनप्रकाश पुत्र श्री पुरूषोत्तमस्वरूप जाति ब्राहमण उम्र 54 साल निवासी- बिजली ऑफीस के सामने जवाहर कोलोनी मांगरोल थाना मांगरोल जिला बारां हाल वरिष्ठ सहायक, नगर पालिका मांगरोल जिला बारां मोबाईल नम्ब[redacted]बताया, इसी समय परिवारजन उस कमरे में इकट्ठे हो गये तथा एक बुजुर्ग औरत रोने लगी, जिस पर श्री धनप्रकाश के परिवारजनों को शांति बनाये रखने के लिए कहा तथा उनको होने वाली कार्यवाही से अवगत कराकर अन्दर दूसरे कमरे में बैठने के लिए कहा तथा परिवादी को अन्दर बुलाकर उसके सामने धनप्रकाश से परिवादी से ली गई रिश्वत राशि 10,000 रू. बाबत पूछा तो श्री धनप्रकाश घबरा गया तथा उसका शरीर कंपकंपाने लगा तथा वो इधर उधर की बातें करने लगा इस पर श्री धनप्रकाश को सांत्वना देकर समझाया तथा पुनः पूछने पर धनप्रकाश ने कहा कि मैने कोई रिश्वती राशि नहीं ली हैं, परिवादी के कहेअनुसार आरोपी ने रिश्वती राशि अपने हाथ सें ग्रहण कर अपनी पेंट की आगे की बांयी जेब में रखी हैं अतः स्वतंत्र गवाह श्री विक्रम सें आरोपी की पेंट की बायीं जेब की तलाशी लिवाई तो जेब में पांच पांच सौ रू. के 20 नोट थे, उक्त नोटों को स्वतंत्र गवाह श्री विक्रम के पास सुरक्षित रखवाये गये। तत्पश्चात धनप्रकाश सें उसकी पेंट की जेब सें बरामद राशि 10,000 रू. बाबत पूछा तो उसने कहा कि मैने कोई रिश्वत राशि नहीं ली हैं ये तो आज कोई आदमी दे गया था, इस पर धनप्रकाश सें पूछा कि कौन दे गया था तो इस बारे में उसने कोई जवाब नहीं दिया इस पर आरोपी की वार्ता का खण्डन करते हुए परिवादी श्री शिवप्रकाश ने कहा कि मेरे बिल पास करने की एवज में इन्होने मुझसें 10,000 रू. लिये थे जो ये राशि है।परिवादी के कहेनुसार आरोपी ने उससें रिश्वती राशि अपने हाथ से लेकर अपनी पेंट की बांयी जेब में रखी हैं तथा 10000 रू. श्री धनप्रकाश की जेब सें बरामद हुए हैं, अतः श्री धनप्रकाश की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई, धनप्रकाश के घर सें साफ पानी मंगवाया जाकर दो डिस्पोजल गिलासों में पानी डलवाकर गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी धनप्रकाश के बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क LH-1, LH-2 अंकित किया। इसके पश्चात दायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे गिलास के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किया। चिटों पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर धोवन की शीशियों को कब्जा एसीबी लिया गया। रिश्वत राशि धनप्रकाश ने अपनी पहनी हुई पेंट की जेब में रखी थी अतः पेंट का धोवन लेना आवश्यक होने से एक नये डिस्पोजल गिलास में पानी डलवाकर गिलास में एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया तत्पश्चात धनप्रकाश की पहनी हुई पेंट का धोवन लेने सें पूर्व धनप्रकाश के परिवार वालों सें दूसरा पेंट मंगवाकर पहनने के लिए दिया तथा पहनी हुई पेंट उतरवाकर पेंट का धोवन लेने के लिए पेंट की बायीं जेब को उलटवा कर गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क P-1, P-2 अंकित किया। पेंट की जेब को सुखाकर, पेंट की जेब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर उसको एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर सील चिट कर मार्क P अंकित करवा थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया।तत्पश्चात आरोपी की पेंट की जेब सें बरामद रिश्वत राशि जो स्वतंत्र गवाह श्री विक्रम के पास सुरक्षित रखवाई गई थी को निकलवाकर गिनवाया गया तो वो पांच-पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10000 रूपये थे। उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान फर्द पेशकशी व दृष्टान्त में अंकित नम्बरों सें करवाया गया तो हूबहू मिलान हुआ। उक्त नोटों को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे एसीबी लिया तथा नोटों को एक पीले रंग के लिफाफे में रखवाकर कर लिफाफे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये। उक्त समस्त हाथ धुलाई एवं नोट बरामदगी की कार्यवाही की वजह सबूत श्री योगेश कानि. से मोबाईल में मेमोरी कार्ड लगाकर विडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई। विडियो रिकॉर्डिंग को पृथक सें शामिल फाईल की गई।तत्पश्चात श्री धनप्रकाश से परिवादी के कार्य से संबन्धित दस्तावेज के संबंध में पूछा तो कहा कि इसके डीजे इवेंट के कार्य के बिलों पर मैने ई.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर बिलों की राशि इसकी फर्म के खाते में डालने के लिए केशियर श्री मनोज कुमार मीणा को कुछ दिन पहले ही दे दिये हैं, इसके पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर लेकर बन्द किया तथा उसको चलाकर सुना गया तो रिकॉर्ड वार्ता में परिवादी के बिल पास होने तथा दो चार दिन में खाते में पैसे आने के लिए कहा था परिवादी द्वारा 10,000 रू. ही लेकर आने पर कहा कि इतने ही क्यों लाया पूरे ही कर देता तो परिवादी ने कहा कि अभी एटीम सें ये निकले तथा बाकी के एटीम सें निकालकर दे जांऊगा जिस पर आरोपी ने कहा कि अभी निकालकर ले आ एटीम से तथा अन्य वार्तायें हुई हैं, उक्त वार्ता को सुनाकर आरोपी सें पूछा तो आरोपी ने कहा कि इस शिवप्रकाश ने अभी-अभी मुझे इसके डी.जे. इवेंट के बिल पास करवाने की एवज में मांगी गई रिश्वत राशि 35000 रू. में सें 10,000 रू. अभी-अभी दिये थे तथा बाकी के इसने एटीम सें लेकर आने के लिए कहकर ये चला गया था तथा 10,000 रू. मै इससे लेकर अपनी पेंट की जेब में रखकर अन्दर आ गया था।आरोपी द्वारा परिवादी के कार्य उसके साउण्ड सिस्टम के बिलों को केशियर के पास होना बताया है, अतः परिवादी के कार्य (पेण्डिंग बिलों) को पृथक सें तहरीर जारी कर प्राप्त होने पर शामिल फाइल

किया गया। आरोपी के आवास की खाना तलाशी हेतु उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया, जिस पर श्री प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस एसीबी बारां मय जाब्ता के आरोपी के आवास की खानातलाशी हेतु उपस्थित आये। उपरोक्त कार्यवाही के दौरान आरोपी के परिवारजन द्वारा परेशानी पैदा किये जाने तथा आस पडौस के व्यक्तियों के एकत्रित होने तथा आवास में खानातलाशी किया जाना हैं अतः सुरक्षा की दृष्टि सें परिवादी को उसकी मोटर साईकिल सें थाना मांगरोल के लिए रवाना कर, मय जब्तशुदा माल, रिश्वती राशि मय आरोपी मय हमराहियान के प्राइवेट वाहन व सरकारी वाहन से रवाना होकर थाना मांगरोल पहुंचा तथा थानाधिकारी श्री महेन्द्र मीणा, सें अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु एक कक्ष उपलब्ध करवाने हेतु कहा तो, थानाधिकारी श्री महेन्द्र मीणा ने थाना मांगरोल के थानाधिकारी कक्ष में अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु अनुमति दी जिस पर पूर्व में की गई समस्त कार्यवाही की फर्द टंकण की गई।उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं कि परिवादी श्री शिवप्रकाश की फर्म शिव डी.जे. इवेन्ट द्वारा जरिये टेण्डर नगर पालिका मांगरोल सें डोल मेला, मांगरोल में साउण्ड सिस्टम लगाया था, साउण्ड सिस्टम लगाने के बिलों को पास करवाने की एवज में आरोपी श्री धनप्रकाश द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन 35000 रू. की मांग की गई तथा वक्त रिश्वत लेनदेन परिवादी सें 10,000 रू. लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की जेब में रखने तथा रिश्वती राशि आरोपी की पेंट की जेब सें बरामद होने तथा आरोपी की हाथ धुलाई से उसके हाथों के धोवन का रंग हल्का गुलाबी तथ मटमैला आने तथा पेंट की बायीं जेब का रंग गुलाबी आने से आरोपी धनप्रकाश गालव पुत्र श्री पुरूषोत्तमस्वरूप जाति ब्राहमण उम्र 54 साल निवासी- बिजली ऑफीस के सामने जवाहर कोलोनी मांगरोल थाना मांगरोल जिला बारां हाल वरिष्ठ सहायक, अतिरिक्त चार्ज लेखाकार, नगर पालिका मांगरोल जिला बारां का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। डिटेनशुदा आरोपी श्री धनप्रकाश गालव को पृथक से जर्ये फर्द गिरफ्तार किया जाना तय किया गया। फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल फाईल किया गया। समय 11.00 पी.एम. पर प्रकरण हाजा में परिवादी की फर्म शिव डीजे ईवेन्ट के पेण्डिंग कार्य से संबंधित बिलों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने बाबत अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका मांगरोल जिला बारां को जरिये वाट्सअप पत्र प्रेषित किया गया।तत्पश्चात समय 11.10 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी धनप्रकाश गालव को उसके व परिवादी श्री शिव प्रकाश के मध्य दिनांक 08.01.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता तथा दिनांक 09.01.2025 को वक्त रिश्वत लेन देन के समय हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई थी। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर एवं मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड उक्त वार्ताओं में धनप्रकाश गालव की आवाज का मिलान हेतु राजस्थान राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर से परीक्षण करवाया जाने के लिए उसकी आवाज के नमूने के लिए नोटिस दिया गया तो उसने अपनी आवाज का नमुना देने से लिखित में मना किया। तत्पश्चात समय 11.30 पी.एम. पर परिवादी व दोनों गवाहान के समक्ष दिनांक 08.01.2025 को परिवादी एवं आरोपी धनप्रकाश गालव के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, जिसे कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था, उक्त मैमोरी कार्ड को कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाकर श्री बबलेश कुमार कानि 261 के द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को सरकारी लेपटोप से कनेक्ट कर स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार करवाई गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल फाईल किया गया।दिनांक 10.01.2025 समय 01.35 ए.एम. पर परिवादी व दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी एवं आरोपी धनप्रकाश गालव के मध्य दिनांक 09.01.2025 को हुई रिश्वत लेनदेन के समय हुई वार्ता, जिसे कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर से मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया था, उक्त मैमोरी कार्ड को कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाकर श्री बबलेश कुमार कानि 261 के द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को सरकारी लेपटोप से कनेक्ट कर स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार करवाई गई। फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल फाईल किया गया। इसके बाद आरोपी श्री धनप्रकाश गालव वरिष्ठ सहायक, नगर पालिका मांगरोल जिला बारां व परिवादी शिव प्रकाश सुमन के मध्य दिनांक 08.01.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 09.01.2025 को हुई रिश्वत लेनदेन वार्ता तथा दिनांक 09.01.2025 को दौराने ट्रेप कार्यवाही की गई सीजर की विडियो रिकॉर्डिंग की Hash Checkar App से SHA256 हैसवेल्यू निकाली गई। जिसकी फर्द अंकित कर फर्द पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 03.40 ए.एम. पर दिनांक 08.01.2025 को परिवादी श्री शिवप्रकाश एवं आरोपी श्री धनप्रकाश गालव के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जिसे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1में रिकॉर्ड किया गया था, उपरोक्त वार्ता की मेमोरी कार्ड में एक फाईल 240108_2006 जो 40,459 KB की तथा कुल समय 28 मिनट 46 सैकिण्ड की हैं तथा दिनांक 09.01.2025 को वक्त रिश्वत राशि लेन-देन हुई वार्ता जिसें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1में रिकॉर्ड किया गया था, उपरोक्त वार्ता की मेमोरी कार्ड में एक फाईल 250109_1017 जो 85175 KB की हैं तथा कुल समय 1 घण्टा 33 सैकण्ड की हैं। उक्त वार्ताओं को श्री बबलेश कानि. 261 के द्वारा डिजीटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से कॉपी कर लेपटोप मे लिवाया जाकर उक्त वार्ताओ के KDM SPEED PRO USB FLASH DRIVE 32 GB कंपनी

के चार पेन ड्राईव तैयार करवाये गये, जिसमे से एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय के लिये, एक पेन ड्राईव नमूना आवाज के लिये व एक पेन ड्राईव आरोपी के लिये पृथक पृथक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर की गई तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए दोनों मेमोरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1को मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर, दोनों मेमोरी कार्ड को कवर सहित कपडे की थेलियों में रखाकर सील्ड मोहर कर सभी सील्ड मोहर थैलियों पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे मे रखकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात दौराने ट्रेप कार्यवाही सीजर की कार्यवाही को मोबाईल में लगे हुये मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में, जरिये मोबाईल रिकॉर्ड किया गया था। जिसकी मेमोरी कार्ड में दो फाईल क्रमशः
VIDEO_20250109_201509 1,144,174 KB कुल समय 18 मिनट 06 सैकिण्ड की,
VIDEO_20250109_203327 1,974,275 KB कुल समय 31 मिनट 13 सैकिण्ड की हैं। उक्त मोबाईल में लगे हुये मैमोरी कार्ड को कार्यालय के लेपटॉप से श्री अभिषेक कानि. 197 के द्वारा लेपटोप पर कनेक्ट करवाकर उक्त मेमेारी कार्ड में रिकॉर्ड हुई विडियो रिकॉर्डिंग फाईल को जरिये लेपटॉप KDM SPEED PRO USB FLASH DRIVE 32 GB कंपनी के दो पेन ड्राईव में पेस्ट किया गया, एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय के लिए वजह सबूत कपड़े की थैली में रखा जाकर सील मोहर किया गया तथा मूल मेमौरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 को माननीय न्यायालय के लिए वजह सबूत जप्त कर कपड़े की थैली में रखी जाकर सील मोहर किया गया एवं कपडे की थैली पर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे मे रखकर शामिल पत्रावली किया गया फर्द डबिंग वार्ता व जब्ती पेन ड्राईव व मेमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई।समय 05.30 ए.एम. पर आरोपी श्री धनप्रकाश गालव द्वारा परिवादी श्री शिवप्रकाश की फर्म शिव डी.जे. इवेन्ट द्वारा जरिये टेण्डर नगर पालिका मांगरोल सें डोल मेला, मांगरोल में साउण्ड सिस्टम लगाने के बिलों को पास करवाने की एवज में दौराने रिश्वत मांग सत्यापन 35000 रू. की मांग की गई तथा वक्त रिश्वत लेनदेन परिवादी सें 10,000 रू. लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की जेब में रखने तथा रिश्वती राशि 10,000 रू. आरोपी की पेंट की जेब से बरामद होने तथा आरोपी की हाथ धुलाई से उसके हाथों के धोवन का रंग हल्का गुलाबी तथ मटमैला आने तथा पेंट की बायीं जेब का रंग गुलाबी आने से आरोपी धनप्रकाश गालव पुत्र श्री पुरूषोत्तमस्वरूप जाति ब्राहमण उम्र 54 साल निवासी- बिजली ऑफीस के सामने जवाहर कोलोनी मांगरोल थाना मांगरोल जिला बारां हाल वरिष्ठ सहायक, अतिरिक्त चार्ज लेखाकार, नगर पालिका मांगरोल जिला बारां का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। चूंकी इस संबंध मे आरोपी से अनुसंधान किया जाना शेष है, आरोपी प्रभावशाली है, जो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर गवाहों को डरा धमका कर या अन्य तरीके से प्रभावित कर सकता है एवं अनुसंधान मे विपरित प्रभाव डाल सकता है। उपरोक्त कारणों एवं आरोपी की न्यायालय मे उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु गिरफ्तारी आवश्यक होने से आरोपी को गिरफ्तारी के उपरोक्त कारणों एवं संवैधानिक अधिकारांे से अवगत कराते हुए नियमानुसार गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया। फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई तत्पश्चात मन अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी शिवप्रकाश, स्वतंत्र गवाहान के वास्ते नक्शा मौका कसीद करने आरोपी धनप्रकाश गालव के निवास बिजली ऑफिस के सामने मांगरोल रवाना होकर पहुंचा तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री शिवप्रकाश की निशादेही पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटना स्थल का नक्शा मौका कसीद कर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया।समय 07.30 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान मय जाप्ता के मय गिरफ्तारशुदा मुलजिम धनप्रकाश गालव मय जप्तशुदा माल धोवन की 06 शीशियां, जप्तशुदा रिश्वत राशि 10000 रूपये का लिफाफा, पेंट का पैकिट मय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर, जप्तशुदा 03 मूल मैमोरी कार्ड, 06 पेन ड्राईव के, टैप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों के मय सरकारी व प्राईवेट वाहन मय चालक के एसीबी चौकी कोटा रवाना हुए। परिवादी को मौके से ही रूकसत किया गया तथा समय 9.30 ए.एम.पर एसीबी चौकी कोटा पहुंचे। जप्तशुदा माल धोवन की 06 शीशियां, जप्तशुदा रिश्वत राशि 10,000 रूपये का एक लिफाफा, पेंट का पैकिट एक, जप्तशुदा 03 मूल मैमोरी कार्ड, 06 पेन ड्राईव को दुरूस्त हालात में जमा मालखाना करवाया गया। स्वतंत्र गवाहान को चौकी हाजा से रूकसत किया गया। मुलजिम को सुरक्षार्थ एसीबी जाप्ते की निगरानी में बैठाया गया।उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं कि परिवादी श्री शिवप्रकाश की फर्म शिव डी.जे. इवेन्ट द्वारा जरिये टेण्डर नगर पालिका मांगरोल सें डोल मेला 2024, मांगरोल में साउण्ड सिस्टम लगाया था, साउण्ड सिस्टम लगाने के बिलों को पास करवाने की एवज में आरोपी श्री धनप्रकाश द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन 35000 रू. की मांग की गई तथा वक्त रिश्वत लेनदेन परिवादी सें 10,000 रू. लेकर अपनी पहनी हुई पेंट की जेब में रखने तथा रिश्वती राशि आरोपी की पेंट की जेब सें बरामद होने तथा आरोपी की हाथ धुलाई से उसके हाथों के धोवन का रंग हल्का गुलाबी तथा मटमैला आने तथा पेंट की बायीं जेब का रंग गुलाबी आने से आरोपी धनप्रकाश गालव पुत्र श्री पुरूषोत्तमस्वरूप जाति ब्राहमण उम्र 54 साल निवासी- बिजली ऑफीस के सामने जवाहर कोलोनी मांगरोल थाना मांगरोल जिला बारां हाल वरिष्ठ सहायक, अतिरिक्त चार्ज लेखाकार, नगर पालिका मांगरोल जिला बारां का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी श्री धनप्रकाश गालव को जर्ये फर्द गिरफ्तार किया गया हैं।

अंतः आरोपी धनप्रकाश गालव पुत्र श्री पुरूषोत्तमस्वरूप जाति ब्राह्मण उम्र 54 साल निवासी- बिजली ऑफीस के सामने जवाहर कोलोनी मांगरोल थाना मांगरोल जिला बारां हाल वरिष्ठ महायक, (अतिरिक्त चार्ज लेखाकार) नगर पालिका मांगरोल जिला बारां के विरूद्ध जुर्म धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है। (अनिष अहमद)उप अधीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,कोटा। ....कार्यवाही पुलिस......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनिष अहमद.उप अधीक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री धनप्रकाश गालव पुत्र श्री पुरूषोत्तमस्वरूप उम्र 54 साल निवासी- बिजली ऑफीस के सामने जवाहर कोलोनी मांगरोल थाना मांगरोल जिला बारां हाल वरिष्ठ सहायक, (अतिरिक्त चार्ज लेखाकार) नगर पालिका मांगरोल जिला बारां के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 182 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 28-31 दिनांक 11-01-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2- अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका मांगरोल । 3-उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। ....

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) **Registered the case and took up the investigation** (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** JAGRAM MEENA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation** (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) **or(या)**

(3) **Refused Investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 1 1/2025 1 1

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1971				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)